UPSD010019322026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), सिद्धार्थनगर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या------७९०/२०२६

माधुरी साहनी पुत्री भागमल साहनी, साकिन भैसहवा, टोला गुलरिहा, थाना मिश्रौलिया, जिला–सिद्धार्थनगर ----------**प्रार्थिनी/अभियुक्ता**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ----------**विपक्षी**

मु०अ०सं०–११६/२०२५

धारा–१३७(२),८७ बी.एन.एस.

थाना–मिश्रौलिया, जिला–सिद्धार्थनगर।

दिनांक–१६.०६.२०२६

१– यह जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्ता माधुरी साहनी की ओर से उसे प्रस्तुत मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

२– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा कंचना देवी पत्नी राकेश कुमार का कथन है कि, "उसकी पुत्री/पीड़िता, उम्र लगभग १७ वर्ष दिनांक २३.०७.२०२५ को रात्रि ११.०० बजे से बिना बताये कहीं चली गयी है। उसने अपने नात–रिश्तेदार आदि कई जगह खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अतः उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

३– जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता बिल्कुल निर्दोष व बेगुनाह है, महज रंजिशन जेरवार करने की नियत से झूठे व गलत तथा निराधार तथ्यो के आधार पर प्रार्थिनी को उपरोक्त झूठे मामले मे अभियुक्ता बना दिया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता रपट अव्वल मे कथित कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता उक्त मामले मे दिनांक ३१.०५.२०२६ से जेल मे निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता नामजद अभियुक्ता नहीं है बाद विवेचना प्रार्थिनी का नाम प्रकाश में लाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से है जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा नही दर्शाया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा उक्त मामले की पीड़िता को न तो बहलाया फुसलाया है और न ही उसे भगाने मे कोई सहयोग ही किया है। उक्त मामले की पीडिता ने अपने बयान में भी हम प्रार्थिनी का नाम नही लिया गया है, बल्कि पीडिता के बयान में काफी विरोधाभास है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता गरीब परिवार महिला है, प्रार्थिनी को उक्त मामले मे गलत तरीके से अभियुक्त बना दिया जबकि प्रार्थिनी ने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता महिला है, जिसकी शादी भी अभी तय हुई है, जेल मे रहने से प्रार्थिनी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR
Date: 2026.06.16 18:01:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जो भी साक्षी है वे हितबद्ध साक्षी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के बाद जमानत मफरूरी का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगी एवं न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर हाजिर अदालत आती रहेगी। प्रार्थिनी / अभियुक्ता के द्वारा गवाहान के टैम्परिंग का कोई अन्देशा नहीं है। अतः उक्त मामले में प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाय।

४– जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो द्वारा विरोध किया गया एवं वादिनी मुकदमा को उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में नोटिस का तामिला कराया जा चुका है।

५– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों को मेरे द्वारा सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

६– पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१८० बी.एन.एस.एस. में कहा है कि, "मेरी जन्मतिथि १७.१२.२००८ है। तथा मेरी उम्र १७ वर्ष है। मैं सरफराज मेमोरियल इण्टर कालेज अभनी बाजर शोहरतगढ़ से कक्षा ०८ उत्तीर्ण की हूं। मेरी मम्मी मुझे अक्सर डांटती–मारती थी। जिसकी वजह से मैं घर छोड़कर लगभग ०८ महीना पहले दिल्ली गयी थी तथा फुटपाथ व रेलवे स्टेशन पर रहती थी। एक दिन मेरी मुलाकात आनन्द बिहार रेलवे स्टेशन दिल्ली में दीपक कुमार पुत्र रामनरेश ठाकुर ग्राम भासर मालीपुर पकड़ी थाना व जिला सीतामढी राज्य–बिहार से हुई। मेरी तबियत काफी खराब थी तो दीपक कुमार ने दवा–ईलाज कराने को कहा तो मैं कही कि मुझे अपने साथ ले चलो तो वह अपने घर पता उपरोक्त लेकर आया तथा मेरा ईलाज करवाया। उसके बाद मैने स्वयं उससे शादी करने को कहा और मार्च, २०२६ में जानकी मंदिर सीतामढ़ी, बिहार राज्य में शादी करके अपने घर पर लाया, जहां पर हम दोनों पति–पत्नी की तरह रहते हैं तथा हम दोनों का शारीरिक सम्बन्ध कई बार हुआ है।"

७– पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१८३ बी.एन.एस.एस. में बताया कि, "मेरी जन्मतिथि १७.१२.२००८ है। मैं कक्षा ०८ तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव की चार औरते हैं, जिनका नाम सुमन, सोना देवी, बृजमति चैहान और माधुरी साहनी है। उन्होंने मुझे बहला फुसलाकर मेरी मां के खिलाफ कर दिया और चारों ने मुझसे धंधा करवाने के नियत से माधुरी के साथ मुम्बई भेज दिया। माधुरी मुझे ०९ महीने पहले मुम्बई लेकर गई। वहां मुझे धंधा करने को बोली तो मैंने मना कर दिया और पुलिस की धमकी दी तो वह मुझे वही छोड़कर भाग गई। मैं फिर किसी तरह से दिल्ली आयी। दिल्ली आकर मैं भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगी। इसी तरह ०७ महीने मैं दिल्ली रही। फिर मैं बीमार पड़ गई। फिर एक दिन मुझे स्टेशन पर दीपक कुमार नाम का लड़का मिला। मैंने उससे मिन्नत की कि मुझे अपने घर ले चलो वरना, मैं इसी हालत में मर जाऊंगी। फिर वह मुझे अपने साथ घर लेकर गया और दवा–ईलाज कराया। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। जब उसने यह बात अपने घर वालों को बतायी तो उन्होंने बोला कि गांव पर आ जाओ, तुम दोनों की रस्मो–रिवाज से शादी करवा देते हैं। फिर मार्च, २०२६ में दीपक मुझे अपने गांव सीतामढ़ी लेकर गया। जहां उसके घर वालों ने जानकी मंदिर में हमारी शादी करवायी। फिर अचानक से 03 दिन पहले सिद्धार्थनगर की पुलिस वहां सीतामढी पहुंच गयी और दीपक

और मुझे गिरफ्तार कर सिद्धार्थनगर लेकर आ गयी। दीपक ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। बल्कि उसने तो मेरे जीवन को बचाया है। वरना मैं वही मर गयी होती। मेरे घर वालो ने दीपक के खिलाफ नहीं, बल्कि उन चारों औरतों, जिन्होने मुझसे धंधा करवाने की कोशिश की, के खिलाफ मुकदमा करवाया है। मैं फिलहाल अपनी मां के साथ जाना चाहती हूं। क्योंकि वह मुझे १८ साल की होने के बाद ही अपने ससुराल भेजेगी।"

८– इस प्रकार पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–१८० बी.एन.एस.एस. में अभियुक्ता माधुरी द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने का कथन नहीं किया है और न ही अभियुक्त का नाम ही लिया तथा धारा–१८३ बी.एन.एस.एस. में अभियुक्त द्वारा उसे बहला–फुसलाकर मुम्बई ले जाने और उससे धन्धा करवाने का कथन किया गया है। अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता को रंजिश के कारण फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है तथा आरोप को गलत बताया गया है तथा अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्ता पर इस अपराध के अतिरिक्त अन्य कोई मुकदमा दर्ज होना अंकित नहीं है और न ही कोई आपराधिक इतिहास का वर्णन किया गया है। सहअभियुक्त दीपक कुमार ठाकुर की जमानक इस न्यायालय द्वारा दिनांक १३.०६.२०२६ को स्वीकार की जा चुकी है। **अभियुक्ता दिनांक–३१.०५.२०२६ से जिला कारागार में निरूद्ध है।** इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Monish vs State of U.P. and others (Criminal Misc Bail Application No. 55026 of 2021)** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्ता को जमानत पर छोडने का पार्याप्त आधार है। अतः अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

९– अभियुक्ता माधुरी साहनी का जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–७९०/२०२६ स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता के द्वारा मु०–५०,०००/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र व उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूओं को पेश करने पर प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है।

१०– इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि उक्त आदेश का इन्द्राज e–prison साफ्टवेयर में करें तथा यदि सात दिन के अन्दर अभियुक्ता रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिद्धार्थनगर को तथा यदि एक माह के अन्दर अभियुक्ता रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

(बीरेन्द्र कुमार)

दिनांक–१६.०६.२०२६

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ. कोड---यू.पी. ६४६३